एक नजर में

जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी

उज्जैन। सोमवार को संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास राजेश मेहरा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ब्रजेश त्रिपाठी के निर्देशानुसार डिस्ट्रिक्ट हब एम्पावरमेंट ऑफ वुमन योजना अंतर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले के विभिन्न स्थानों (शहरी क्षेत्र के 54 वार्डों, घट्टिया जनपद क्षेत्र, बडनगर नगरपालिका क्षेत्र, नागदा नगरपालिका क्षेत्र, खाचरौद नगरपालिका क्षेत्र, उन्हेल नगर पंचायत क्षेत्र, तराना नगरपालिका क्षेत्र, माकडोन नगरपरिषद् क्षेत्र, महिदपुर नगरपालिका क्षेत्र, झारडा नगर पंचायत क्षेत्र) के लिए रवाना किया गया। ज्ञात हो कि उक्त स्थानों में रथ के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में सरल एवं प्रभावी शैली को जागरूक करना है। रथ में यह भी बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह दंडनीय अपराध है। महिलाओं एवं बालकों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार या अप्रिय घटना पर कहां संपर्क करना है। रथ के माध्यम से महिला हेल्पलाइन नंबर 181 एवं बालक, बालिका के लिए 1098 की सहायता लेने का सन्देश भी दिया जाएगा। रथ के माध्यम से जन समुदाय को वन स्टॉप सेंटर एवं डिस्ट्रिक्ट हब एम्पावरमेंट ऑफ वुमन की कार्यप्रणाली और वहां किस प्रकार से महिलाओं को सहायता प्रदान करता है, यह भी जानकारी दी जाएगी। इस दौरान रीना शर्मा सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास वीणा बोरासी प्रशासक वन स्टॉप सेंटर उपस्थित थे।

इंदौर से शराब लेकर आए युवक पकड़ाए

उज्जैन। चार पहिया वाहन में हाथ भट्टी से बनी अवैध शराब बाइक से देसी शराब लेकर आए दो युवकों को पुलिस ने घेहराबंदी कर पकड़ा है। एक जावरा से स्कॉर्पियो में शराब लेकर आया था दूसरा बाइक सवार इंदौर से शराब बेचने के लिए उज्जैन तक पहुंचा था। उन्हेल थाना पुलिस ने बताया कि रात में सूचना मिलने के बाद पासलोद रोड स्थित गोशाला के पास नाकाबंदी की गई थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सफेद रंग की स्कॉर्पियो क्रमांक एमपी-66 सी 0595 को रोका गया। उसमें सवार चालक ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर उसमें 60 लीटर हाथ भट्टी पर बनी शराब की दो केन बरामद हो गई। चालक से पूछताछ करने पर उसका नाम हुकुम पिता छीतूलाल निवासी ग्राम दुपाड़ा शाजापुर सामने आया। पूछताछ में उसने शराब जावरा से लेकर आने की बात कही। मामले में स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया। अवैध शराब के मामले में चिंतामण थाना पुलिस ने जवासिया ब्रिज के नीचे से बाइक सवार युवक को पकड़ा। जिसके पास से देशी शराब के 325 क्वाटर बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी धरमपुरी का रहने वाला दीपक उर्फ दीपराज है। जो इंदौर से शराब लेकर उज्जैन में बेचने के लिए आ रहा था। धार्मिक नगरी में शराब प्रतिबंध होने के बाद से लगातार अवैध कारोबार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अवैध शराब इंदौर और देवास के रास्तों से उज्जैन तक लाई जा रही है।

ब्राह्मण समाज का महाधिवेशन 18 जनवरी को

उज्जैन। मारू औदिच्य ब्राह्मण समाज ट्रस्ट उज्जैन का महा अधिवेशन 18 जनवरी रविवार को प्रातः 11 बजे से चिमनगंज के पीछे, गणेश टेकरी उज्जैन पर स्थित मारू औदिच्य ब्राह्मण समाज की धर्मशाला पर आयोजित किया जायेगा। सचिव राजेन्द्र शर्मा के अनुसार उक्त आशय का निर्णय रविवार को समाज की धर्मशाला पर आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष लीलाधर शर्मा ने की। बैठक में विशेष उपस्थिति समाज के वरिष्ठ रमेशचन्द्र शर्मा का रही। सचिव राजेन्द्र शर्मा के अनुसार बैठक में महा अधिवेशन को लेकर रूपरेखा बनाई गई। महा अधिवेशन में समाज का संविधान संशोधन, धर्मशाला एवं छात्रावास का निर्माण एवं विकास, समाज में शैक्षिक उन्नयन, सामूहिक विवाह एवं परिचय सम्मेलन, समाज की आर्थिक एवं व्यवसायिक प्रगति, सामाजिक आपदा राहत कोष स्थापना, सामाजिक प्रतिभाओं का सम्मान, समाज में सदस्यता अभियान चलाने को लेकर गहन मंथन किया जायेगा जिसमें विभिन्न प्रांतों से ट्रस्ट से जुड़े समाजजन सम्मिलित होंगे। बैठक में समस्त न्यासीगण उपस्थित रहे।

आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

उज्जैन। कलेकटर रौशन कुमार सिंह के निर्देशों के परिपालन में ऊर्जा विभाग अंतर्गत वितरण केंद्र लोहाना बड़नगर संभाग जिला उज्जैन में बाह्यस्रोत कर्मचारी के रूप में कार्यरत नेहरु बोडाना पिता शंकर लाल बोडाना द्वारा विद्युत सुधार कार्य के दौरान अघातक विद्युत दुर्घटना होने पर शारीरिक अर्जन क्षमता में 70 प्रतिशत कमी आने पर विकलांगता की स्थिति में निर्धारित पात्रता मापदंडों के आधार पर प्रकरण के परीक्षण उपरांत पश्चिम शहर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नेहरू बोडाना को राशि रुपये 2,00,000/-(दो लाख) की राहत राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार ग्राम इंगोरिया निवासी स्व. भगवती बाई पति भगवान सिंह की 24 अगस्त 2025 को विद्युत आघात लगने से मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उक्त जानकारी कार्यपालन यंत्री एमपीएबी द्वारा दी गई।

महिला बास्केटबॉल सिटी लीग 19 दिसंबर से

उज्जैन। मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में उज्जैन कॉरपोरेशन एरिया बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा अस्मिता महिला बास्केटबॉल सिटी लीग 2025-26 का आयोजन 19 से 21 दिसंबर तक बास्केटबॉल एरिना महानंदा नगर पर किया जाएगा। संगठन की सचिव ऋतु शर्मा ने बताया कि महिला लीग में उज्जैन शहर के विद्यालय की टीमें भाग ले सकती हैं। प्रतियोगिता में निःशुल्क सम्मिलित हो सकते हैं। विद्यालय अपनी टीमों की एंट्री 18 दिसंबर तक भेज सकते हैं। विजेता, उपविजेता टीमों को आकर्षक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र व मेडल प्रदान किए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का भी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिता में आयोजन समिति सदस्य मनीषा पँवार, प्रगति जैन, समीक्षा भदौरिया, विनोद पांचाल, विराट धाकड़, अर्चना टाइट्स ममता गौड, मनीष धनौरिया आदि हैं।

वैद्य स्मृति में व्याख्यानमाला आज

उज्जैन। स्वतंत्रता सेनानी पूर्व सांसद, मूर्धन्य पत्रकार कन्हैयालाल वैद्य की 51वीं पुण्यतिथि अवसर पर 16 दिसंबर 2025 मंगलवार को शाम 5 बजे डॉ. राजेन्द्र जैन सभागृह क्षीरसागर उज्जैन पर पत्रकारिता का स्वरूप पहले और बाद विषय पर वैद्य स्मृति स्वर्ण जयन्ती 51वीं व्याख्यानमाला का आयोजन होगा। समारोह समिति के सदस्य पत्रकार डॉ. सुरेश मेहरोत्रा, पत्रकार नरेश सोनी, राहुल वर्मा, कैलाश सनोलिया, क्रान्तिकुमार वैद्य के अनुसार व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता उज्जैन के कवि एवं साहित्यकार डॉ. शिव चैरसिया, विशेष अतिथि शिवपुरी के वरिष्ठ पत्रकार एवं वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रेमनारायण नगर विचार व्यक्त करेंगे। अध्यक्षता पूर्व सांसद सत्यनारायण पंवार करेंगे। व्याख्यामाला के पूर्व राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के महानियंत्रक केसी यादव द्वारा पत्रकारों को सम्मानित किया जायेगा।

गलत टिप्पणी, आरोपी को पुलिस ने पकड़ा

उज्जैन। गढ़कालिका मंदिर की शासकीय पुजारी महंत करिश्मा नाथ पर गलत व अश्लील शब्दों का प्रयोग कर चंद्रावतीगंज निवासी मनोज योगी ने सोशल मीडिया के इस्टाग्राम पर अपने स्वयं के अकाउंट से उनकी एक धार्मिक यात्रा के वीडियो पर टिप्पणी की थी। महंत ने जीवाजीगंज थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महंत करिश्मा नाथ ने बताया राजस्थान यात्रा के दौरान 10 दिसंबर को उनके मंदिर पर कार्यरत लक्ष्यजीत तिवारी ने उनका एक वीडियो इंस्टाग्राम पर जारी किया था। इसी पर गलत शब्दों का प्रयोग कर टिप्पणी की थी।

चालानी कार्रवाई में पारदर्शिता की नई मिसाल, पीओएस मशीनों से सशक्त परिवहन विभाग

सिंहस्थ और रोड सेफ्टी को मिलेगा बड़ा लाभ, बॉडीवॉर्न कैमरे और कैशलेस चालान, डिजिटल इंडिया की ओर बड़ा कदम

उज्जैन। प्रदेश में यातायात व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में परिवहन विभाग ने एक अहम कदम उठाया है। सुशासन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य से प्रदेश के सभी पारंपरिक परिवहन चेकपोस्ट बंद कर दिए गए हैं। इनके स्थान पर अब प्रदेशभर में 45 रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट स्थापित किए गए हैं, जहां अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से वाहनों की जांच की जा रही है।

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा से लेकर आरटीओ संतोष मालवीय व ट्रैफिक डीएसपी ने नवभारत से चर्चा में बताया कि सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर तमाम तरह के नवाचार किया जा रहे हैं। ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए तमाम तरह की मुहिम भी चलाई जाएगी जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा वहीं रोड सेफ्टी को लेकर जो नियम बनाए हैं उनका पालन करना व कराना भी हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए सभी डिवाइस व तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि यातायात प्रबंधन हो सके जनता की भी सुरक्षा हो सके।

प्रवर्तन अमले को बॉडीवॉर्न कैमरे और पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इन कैमरों की निगरानी में पीओएस मशीन के जरिए ऑनलाइन और कैशलेस चालानी कार्रवाई की जा रही है। पूरी प्रक्रिया की मॉनीटरिंग रियल टाइम में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से हो रही है। जिससे प्रत्येक कार्रवाई रिकॉर्ड में रहती है और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। उज्जैन में प्रस्तावित सिंहस्थ-2028 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में यह नई डिजिटल और फेसलेस व्यवस्था सिंहस्थ के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाएगी। रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट प्वाइंट्स के माध्यम से भारी वाहनों, यात्री बसों और निजी वाहनों की सुचारु जांच संभव होगी। इससे यातायात जाम, दुर्घटनाओं और अव्यवस्था की आशंका कम होगी तथा श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सहज आवागमन का लाभ मिलेगा।

ई-डिटेक्शन सिस्टम को नवंबर 2025 से लागू किए जाने के बाद मोटरयान नियमों के उल्लंघन पर स्वचालित कार्रवाई संभव हो गई है। ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट जैसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई से वाहन चालकों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने और प्रदेश में रोड सेफ्टी मजबूत होने की उम्मीद है नई व्यवस्था से आम जनता को कई स्तरों पर लाभ मिलेगा। वाहन चालकों को अब नकद लेन-देन से मुक्ति मिलेगी, समय की बचत होगी और बिना किसी दबाव के पारदर्शी कार्रवाई का अनुभव मिलेगा। ऑनलाइन और फेसलेस सेवाओं से रजिस्ट्रेशन, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम घर बैठे पूरे हो सकेंगे। इससे न केवल कार्यालयों के चक्कर कम होंगे, बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी न्यूनतम होंगी।

अवैध वसूली पर लगाम, बढ़ा भरोसा

नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन जांच के दौरान अवैध वसूली की शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आई है। बॉडीवॉर्न कैमरों के कारण प्रवर्तन अमले की प्रत्येक गतिविधि कैमरे की नजर में रहती है। जिससे आम वाहन चालकों का भरोसा परिवहन विभाग पर बढ़ा है। अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए ई-चेकपोस्ट मॉडल के माध्यम से ऑनलाइन मोटरयान कर जमा करने की सुविधा भी दी गई है। जिससे समय और संसाधनों की बचत हो रही है।

फेसलेस सेवाओं में मध्यप्रदेश देश में अव्वल

परिवहन विभाग द्वारा एनआईसी के 'वाहन' और 'सारथी' ऐप के माध्यम से दी जा रही फेसलेस सेवाओं के चलते मध्यप्रदेश देशभर में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सभी फेसलेस सेवाओं को प्रदेश में पूरी तरह लागू कर दिया गया है। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के संकल्प को धरातल पर साकार करती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर, परिवहन विभाग की यह पहल न केवल प्रशासनिक सुधार का उदाहरण है।

जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित

उज्जैन। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक श्रमायुक्त राखी जोशी द्वारा पावर पॉईंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से बालक एवं कुमार श्रम अधिनियम 1986 की धारा 03, धारा 03 क संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 12, धारा 14 के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा समिति द्वारा सर्वे अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्यों, उद्योगों संस्थानों, औद्योगिक क्षेत्र में किए गए निरीक्षण और जागरुकता कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में पेंसिल पोर्टल के बारे में बताया गया कि पेंसिल एक संक्षिप्त शब्द है जिसका पूर्ण रूप प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर है। यह बाल श्रम मुक्त समाज प्राप्त करने के लक्ष्य में केंद्र, राज्यों, जिलों, सरकारों, नागरिक समाज और आम जनता को एकीकृत करने के उद्देश्य से एक इंटरनेट मंच है। इसकी स्थापना बाल श्रम अधिनियम और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के उचित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि निरीक्षण की संख्या और बढ़ाई जाए। बैठक में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बृजेश त्रिपाठी, श्रम निरीक्षक पुष्पेंद्र मरावी, सुमित उछारिया एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे।

हिरासत में आए प्रतिबंधित डोर के साथ जान के 5 दुश्मन

उज्जैन। चाइना डोर पर प्रतिबंध लगा होने पर पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य पतंग बाजार से दूर नीलगंगा पुलिस ने चाइना डोर की बड़ी खेप के साथ एक नाबालिग और चार युवकों को हिरासत में लिया है। 47 रील बरामद होने पर सभी के खिलाफ जिलाधीश के आदेश का उल्लंघन करने का प्रकरण दर्ज कर प्रतिबंधित डोर बेचने वालों का जुलूस निकाला।

नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने बताया कि मकर संक्रांति से पहले पतंगबाजी का दौर शुरू हो चुका है। घातक चाइना डोर से पतंग बाजी ना हो इसको लेकर कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा चाइना डोर बेचने और उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। पूरे शहर में पुलिस द्वारा प्रतिबंधित डोर को लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली थी कि शिवांश एलिगेंस बिल्डिंग के पीछे कुछ युवक घातक चाइना डोर बेचने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचे मनीष पिता ओमप्रकाश कुकरेजा निवासी भार्गव नगर और हर्ष पिता आलोक बारोट निवासी रामीनगर के साथ एक नाबालिग निवासी न्यू इंदिरा नगर को हिरासत में लिया। जिनके पास से 24 रील चाइना डोर की बरामद हो गई। बरामद चाइना डोर की कीमत 15 हजार से अधिक थी। तीनों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि चाइना डोर प्रताप तोमर और निखिल चांदनी से बेचने के लिए लेकर आए हैं। पुलिस टीम ने दो नाम सामने आते ही देसाई नगर के रहने वाले प्रताप सिंह तोमर और निखिल चांदनी निवासी महाकाल सिंधी कॉलोनी को भी हिरासत में लिया। जिनके पास से 23 चाइना डोर की रील बरामद की गई। नाबालिग सहित पांच आरोपियों के हिरासत में आने पर प्रतिबंधित डोर के कारोबार में शामिल मुख्य आरोपी प्रताप सिंह, हर्ष और निखिल का क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा जुलूस निकाला गया। सभी आरोपियों के खिलाफ जिलाधीश के आदेश का उल्लंघन करने की धारा में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। प्रतिबंधित डोर के साथ आरोपियों को पकड़ने में प्रधान आरक्षक मंगल टैगोर, वीरेन्द्र शर्मा, कपिल राठौर, हरेन्द्र सिंह तोमर आरक्षक पुष्पराज, बालकिशन, हिमांशु सारंगे शामिल थे।

12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की मौत

उज्जैन। 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जेल में तबीयत बिगड़ गई थी जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। जहां आरोपी की मौत होना सामने आया है। जेल प्रशासन की ओर से मामले की सूचना आरोपी के परिजनों को दी गई है। भैरवगढ़ थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया है। भैरवगढ़ थाना एएसआई रामचंद्र व्यास ने बताया कि केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ में बंद कैदी मुन्नालाल पिता नागूलाल 56 साल निवासी ग्राम घोंसला थाना राघवी की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत होने की सूचना मिलने पर मर्ग कायम किया गया था। आज सुबह पोस्टमार्टम के दौरान सामने 20 साल की हुई थी सजा, पांच सालों से जेल में था बंद आया कि मृतक कैदी मुन्नालाल महिदपुर क्षेत्र में 12 साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म का आरोपी था। जिसे न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई थी। 5 साल से आरोपी जेल में सजा काट रहा था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बताया जा रहा है कि आरोपी को लकवा भी हो गया था। फिलहाल मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है।

गांजा तस्कर को 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना भी लगाया

न्यायालय ने कार राजसात करने के दिए आदेश

उज्जैन। साल भर पहले गांजा तस्करी के आरोप में पकड़े गए तस्कर को न्यायालय ने 10 साल की सजा और एक लाख रुपए के जमाने से दंडित किया है। तस्कर कार से गांजे की डिलीवरी देने आया था। न्यायालय ने कार भी राजसात करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

भाटपचलाना थाना पुलिस ने बताया कि 30 अक्टूबर 2024 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नीले रंग की कार में अवैध रूप से गांजा लेकर खाचरौद से बड़नगर की ओर जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा खाचरौद-रुनिजा रोड, नोगांवा फंटा के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी की कार की डिक्की से 23 किलो 450 ग्राम गांजा (कीमत लगभग 05 लाख) जप्त किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा गांजा पश्चिम बंगाल व ओडिशा के अंतर्राज्यीय तस्करों से खरीदना स्वीकार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर उसके नागदा स्थित मकान से दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 13.60 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान एनडीपीएस न्यायालय उज्जैन में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से डीपीओ राजेन्द्र खांडेकर के मार्गदर्शन में एडीपीओ नीतेश कृष्णन द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा आरोपी अभिषेक पिता रामचंद्र निवासी अंजनी नगर नागदा, थाना बिरलाग्राम को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महिलाओं को दी सुरक्षा की जानकारी

उज्जैन। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड भोपाल एवं सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट उज्जैन द्वारा महाकाल मंदिर में कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित रहने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मंदिर समिति के त्रिनेत्र मीटिंग हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें महिला कर्मचारियों को सुरक्षित पर्यटन स्थल पर कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। उपरोक्त प्रशिक्षण डॉ. रंजना मिश्रा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड भोपाल द्वारा दिया गया। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक श्रीमती सिम्मी यादव भी कार्यशाला में उपस्थित रही।

एस आई आर को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक कल

उज्जैन। एस आई आर को लेकर भारतीय जनता पार्टी कई दिनों से कम कर रही है और उनके कार्यकर्ता बूथ स्तर पर भी लगातार गहन पुनरीक्षण काम में लगे हैं। एस आई आर को लेकर कल उज्जैन उत्तर एवं दक्षिण दोनों विधानसभा की बैठक लोक शक्ति कार्यालय पर होगी। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया एस आई आर का काम पिछले एक माह से अधिक समय से चल रहा है और लगातार कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं। कल इसी काम की समीक्षा के लिए उज्जैन उत्तर एवं दक्षिण विधानसभा की अलग-अलग बैठक आयोजित की गई है। वही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस अवसर को भारतीय जनता पार्टी धूमधाम से मनाएगी इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उज्जैन सहित मध्य प्रदेश में एस आई आर के और समय बढ़ाया गया है हालांकि उज्जैन दक्षिण और उत्तर में 90प्रतिशत के आसपास काम हो चुका है और जो शेष बचे हैं उनमें अधिकतर शिफ्ट हुए और अन्य लोग हैं जिन पर फिर से विचार होगा।

होटल वेलवेट में हिंदू युवती के साथ रुका था मुस्लिम युवक, पकड़ाया

हिंदूवादी संगठन ने बुलाई पुलिस, युवक ने कुंदन बताया नाम

उज्जैन। एक बार फिर होटल में हिंदू युवती के साथ ठहरी मुस्लिम युवक को हिंदूवादी संगठन द्वारा पकड़ा गया है। दोनों के साथ एक अन्य युवक और युवती भी थे। चारों को पुलिस के हवाले किया गया है।

महाकाल थाना क्षेत्र की होटल वेलवेट में हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक के रुके होने की सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे थे। जहां उनके साथ एक अन्य जोड़ा भी रुका हुआ था। हिंदूवादी संगठन को देख होटल संचालक भाग निकला। हिंदूवादी संगठन ने जानकारी जुटाई तो मुस्लिम युवक बिना आईडी के युवती के साथ रुका हुआ था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। गुदरी क्षेत्र स्थित होटल पर पुलिस पहुंची और युवक से पूछताछ की तो वह अपना नाम कुंदन बताने लगा। उसे दस्तावेज मांगे गए इस दौरान उसका आधार कार्ड मिला। जिस पर नाम मेहताब लिखा हुआ था और चंडीगढ़ का रहने वाला था। पुलिस जानकारी के बाद होटल संचालक समीर निवासी बेगम बाग होना सामने आया। जिसकी तलाश के लिए एक टीम रावण की गई। वही होटल में ठहरे मुस्लिम युवक और उसके साथी के साथ दोनों युवतियों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। युवतियो के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंदू युवतियों के साथ मुस्लिम युवको के पकड़ने के मामले सामने आ रहे। पुलिस मामलों में कार्रवाई भी कर रही है। वही हिंदू समाज पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहा है और हिंदू युवतियों को बरगलाकर लव जिहाद में धकेलना वाले युवकों की धरपकड़ कर रहा है।

नए दरवाजे लगाए — 50 लाख रुपए से अधिक कीमत का, कोलकाता की महिला भक्त ने किया दान

महाकाल के गर्भगृह के बाहर 25 किलो चांदी के नए द्वार लगाए-इन पर पल्ले लकड़ी के ही हैं

नवभारत न्यूज

उज्जैन। महाकाल मंदिर के गर्भगृह के बाहर 25 किलो चांदी से बने द्वार लगा दिए गए हैं। यह द्वार कोलकाता की महिला भक्त की ओर से दान किए गए हैं। गर्भगृह बाहर लगे दरवाजे काफी पुराने व जर्जर हो गए थे। इसलिए इन्हें हटाकर नया बनवाया गया। मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में कोलकाता की रहने वाली निभा प्रकाश ने मंदिर में यह द्वार दान स्वरूप भेंट किए गए थे। हाल ही इसे लगाया गया। इन दरवाजों पर पल्ले लकड़ी के हैं जिस पर 25 किलो चांदी मढ़ी गई। इसके दोनों ओर नंदी जी, ओंकार, त्रिशूल, कलश की आकृतियों के साथ फूल और बेलबूटे उकेरे गए हैं। दानदाता की मौजूदगी में मंदिर समिति ने उन्हें लगवाया। वर्तमान में बाजार में चांदी की कीमत व निर्माण मिलाकर इसमें 50 लाख रुपए से अधिक का खर्च आया है।

श्री वीर हनुमान ने सिंधिया राजवंश की वेशभूषा में दर्शन दिए

महाकाल वन कार्तिक चौक के वीर हनुमान मंदिर पर हनुमान अष्टमी महोत्सव में फूल बंगला सजा जिसमें विराजित श्री वीर हनुमान जी ने सिंधिया राजवंश की वेशभूषा में श्रृंगारित होकर भक्तों को दर्शन दिए। भंडारे में 2 हजार भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की तो निःशुल्क रक्षा सूत्र वितरित किया गया। मंदिर के पुजारी पं. जस्सू गुरु महाराज, पुजारी नीलेश गुरु, पुजारी कृष्णा गुरु ने बताया अखंड रामायण, भजन संध्या एवं हवन-पूजन के साथ महोत्सव में फूल बंगले का निर्माण मालीपुरा के सोनू भैया ने किया तो भगवान के लिए जरी व मखमली वस्त्रों की वेशभूषा उज्जैन के कलाकार भावेश विश्वकर्मा ने तैयार की। 56 भोग लगाकर 5 ढोल के साथ बाबा की महाआरती की। पूजन पं. मदन ने संपन्न कराया। महोत्सव में महामंडलेश्वर 1008 श्री ज्ञानदास जी महाराज, श्री क्षेत्र पंडा समिति के अध्यक्ष पं. राजेश त्रिवेदी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पं. सुरेन्द्र चतुर्वेदी, राम कथा प्रवक्ता पं. सुलभ शातु गुरु, महाकाल मंदिर के पुजारी पं. रमण त्रिवेदी शामिल हुए।